

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय
 महानदी भवन, नया रायपुर
 // आदेश //

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्रमांक-एफ-2-39/2014/सात-2--राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नलिखित तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार (SLR) को प्रशासनिक एवं स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये कालम-4 अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्रमांक	तहसीलदार का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01	02	03	04
01	श्री अमित गुप्ता	मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया	जिला-बिलासपुर (स्वयं के व्यय पर)
02	श्री श्रीकांत वर्मा	नारायणपुर, जिला-नारायणपुर	राजस्व अधिकारी कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख (स्वयं के व्यय पर)
03	श्री पुष्पेन्द्र शर्मा	सरगुजा, जिला-सरगुजा	जिला-धमतरी (स्वयं के व्यय पर)
04	श्री बनसिंह नेताम	मगरलोड, जिला-धमतरी	जिला-कांकेर (स्वयं के व्यय पर)
05	श्री टी.आर.अजापाल	जिला-कोण्डागांव	जिला-दंतेवाड़ा (स्वयं के व्यय पर)
06	श्री सुरेन्द्र ठाकुर SLR प्रभारी तहसीलदार	जिला-महासमुंद	जिला-दंतेवाड़ा (स्वयं के व्यय पर)
07	श्री मनीष मिश्रा	पलारी, जिला-बलौदाजार	जिला-कांकेर (प्रशासनिक)
08	श्री ए.के.भोई	बरमकेला, जिला-रायगढ़	जिला-कोरिया (प्रशासनिक)
09	श्री जी.एल.यादव	कुरुद, जिला-धमतरी	पाटन, जिला-दुर्ग (प्रशासनिक)

2/ उपरोक्त तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है, कि पदस्थापना जिला पर आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले तहसीलदार के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3/ संबंधित कलेक्टर, का दायित्व होगा कि स्थानांतरित तहसीलदारों को पदस्थापना जिले के लिए तत्काल भारमुक्त करें तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति विभाग को फैंक्स नं.-0771-2510122 एवं E-Mail-ID www.revenue.cg.nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

ad

क्रमशः.....02

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2014

पृ.क्रमांक-एफ-2-40/2014/सात-2

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर.
 2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर.
 3. संभागीय आयुक्त रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा छत्तीसगढ़.
 4. कलेक्टर, जिला-....., छत्तीसगढ़.
 5. कोषालय अधिकारी, जिला-....., छत्तीसगढ़.
 6. सर्व संबंधित तहसीलदार की ओर पालनार्थ ।
 7. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग